मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/ एफ–5/2/2006/10–3 भोपाल, दिनांक/ 10/4/06

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास/ लोक निर्माण /जल संसाधन /आदिम जाति कल्याण / राजस्व / स्कूल शिक्षा /लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी /ऊर्जा /कृषि /गृह/ खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1 हैक्टेयर से कम के प्रकरणों के संबंध में जारी दिशा निर्देश ।

—0—

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शासकीय परियोजनाओं से निम्न प्रकरणों में जिनमें 1 हैक्टेयर से कम वन भूमि व्यपवर्तित हो रही हो, उनमें भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली व्दारा ज्ञाप क्रमांक एफ–11–9/98–एफ सी, दिनांक 3–1–2005 से आवश्यक शर्तो के अधीन अनुमति जारी करने हेतु राज्य शासन को अधिकृत किया गया है :–

1– स्कूल भवन
2– डिस्पेन्सरी/ अस्पताल
3– विद्युत एवं संचार लाईन
4– पेय जल
5– जल / वर्षा जल दोहन संरचनाऐं
6– लघु सिंचाई नहर
7– अपराम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
8– कौशल उन्नयन / वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र
9– विद्युत उप केन्द्र
10– संचार पोस्ट
11– संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस स्टेशन/ आउट पोस्ट /बोर्डर आउट पोस्ट/वाच टावर आदि ।

भारत शासन के आदेश की छायाप्रति संलग्न है । इन प्रकरणों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत समस्त प्रकिया का पालन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन संबंधित वन मंडलाधिकारी को निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत करना होगा । प्रपत्रों की प्रति क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यदि आपके विभाग के अन्तर्गत 1 हैक्टेयर से कम के ऐसे प्रकरण है तो कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

07/04/06

(सतीश त्यागी)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग

क्रमांक / एफ–5 / 2 / 2006 / 10–3 भोपाल, दिनांक / 10/4/06

प्रतिलिपिः–

1/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 ।
2/ मुख्य वन संरक्षक (भू– प्रबंध) म0प्र0 भोपाल ।
3/ समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय मध्यप्रदेश ।
4/ समस्त कलेक्टर, म0प्र0 ।
5/ समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,वन विभाग

प्रधान मु.व.स.
म प्र भोपाल

12/4/06

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

13/4

आवक लिपिक
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

आवक क्र.

दिनांक ....